आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Skill Development, Employment and Entrepreneurship Department

Stipend of Rs. 500 per month for trainees in Craftsman Training Scheme in Govt ITI

महाराष्ट्र की सरकारी ITI में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के प्रशिक्षुओं के लिए 500 रुपये मासिक वृत्ति, यदि सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक हो।

क्या मिल सकता है

500 रुपये मासिक वृत्ति, दो किस्तों में। पेज के अनुसार 7 मई 1983 के शासन निर्णय के तहत सरकारी ITI के 50 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को 40 या 60 रुपये मासिक मिलते थे, और 40 साल में वृत्ति में बदलाव नहीं हुआ था।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के अधिवासी प्रशिक्षु जो सरकारी ITI (निजी ITI नहीं) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में हैं, सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक।

मुख्य शर्तें

- महाराष्ट्र का अधिवास
- सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं। गैर क्रीमी लेयर मानदंड में महाराष्ट्र सरकार के भविष्य के बदलाव लागू होंगे
- परिवार के केवल दो भाई-बहन पात्र
- औसत 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य। 2 साल के ट्रेड के लिए पहला साल पास करना ज़रूरी
- अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा (AITT) के लिए निलंबित या अपात्र पाए जाने पर, या ITI छोड़ने की तारीख से, पात्र नहीं
- राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़ा बचत खाता अनिवार्य, और MahaDBT पोर्टल पर पंजीकरण ज़रूरी
- 2.5 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले अनुसूचित जाति के प्रशिक्षु दसवीं के बाद की छात्रवृत्ति के भी पात्र हैं
- नवीनीकरण: अगले साल रोल पर होना ज़रूरी, उपस्थिति DGT के मानदंड के अनुसार

दस्तावेज़

- आय प्रमाणपत्र
- कोर्स के मानदंड के अनुसार अंकतालिका
- आधार कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्र
- नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A8D6E1E4E8866EE600571B0A841AF768C93C24C5AEB049B3D
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-stipend-of-rs-500-per-month-trainees-craftsman-training-scheme-govt-iti/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।